बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

का0आ0सं0 यो0स्था07 / 01–06 / 2025(पार्ट) -1976 / यो0वि0,पटना,दिनांक 17 अप्रैल, 2026

कार्यालय आदेश

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना का आदेश संख्या–639 दिनांक 03.02.2025 एवं आदेश संख्या–1945 दिनांक 04.04.2025 द्वारा नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडल में अगले आदेश तक के लिए निम्नरूपेण पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0	समेकित क्र0 सं0	पंजीयन सं0	नाम	जन्म तिथि	गृह जिला	पदस्थापन विभाग / कार्यालय
1	1801	BR00150010024085	मो0 रफी जिलानी	05.01.1988	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमण्डल–01, मोतिहारी, पूर्वी0 चम्पारण
2	2289	BR00150010069045	श्री श्रवण कुमार	05.01.1984	पूर्णियाँ	कार्य प्रमण्डल–01, बेगूसराय
3	2399	BR00150010074538	श्री प्रदीप कुमार	12.03.1988	रोहतास	कार्य प्रमण्डल, ब्क्सर
4	3527	BR00150010004627	श्री मुन्ना कुमार	27.12.1996	पूर्वी चम्पारण	कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज
5	5831	BR00150010078561	श्री सुमन कुमार पासवान	10.03.1997	पूर्णियाँ	कार्य प्रमण्डल–02, दानापुर, पटना

2. यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के द्वारा समर्पित सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं तथा शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मानते हुए की जा रही है। यदि भविष्य में उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाती है तो इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। संबंधित कार्यालय अपने स्तर से भी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं की शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अभिलेखों की जाँच कर लेंगे।

3. यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही हैं। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

4. सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक–30.04.2026 तक नव पदस्थापित कार्यालय में शैक्षणिक योग्यता, आवासीय प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, दहेज़ नहीं लेने एवं देने संबंधी शपथ पत्र, तकनीकी त्याग पत्र की स्वीकृति तथा विरमन आदेश (मूल में) एवं अन्य वांछित कागजात की स्व–अभिप्रमाणित प्रति के साथ योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

5. सभी नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) का वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापन कार्यालय से भुगतेय होगा। पदस्थापन कार्यालय में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक–30.04.2026 तक योगदान की स्थिति में वेतन योजना एवं विकास विभाग में (पूर्व से सरकारी / अर्द्ध सरकारी निकायों में कार्यरत

कर्मी पूर्व नियोक्ता से स्वीकृत त्यागपत्र/विरमण आदेश के साथ) योगदान की तिथि से देय होगा। दिनांक–30.04.2026 के बाद जिस तिथि से पदस्थापित कार्यालय में योगदान देंगे उस तिथि से वेतन देय होगा।

6. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उनके कार्यालय में पदस्थापित कनीय अभियंताओं (असैनिक) का योगदान प्रतिवेदन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) का तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृति करेंगे तथा नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति की सम्पुष्टि करा लेंगे। यदि तीन माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) की वेतनादि का भुगतान तब तक नहीं की जायेगी जब तक योजना एवं विकास विभाग से इनकी नियुक्ति की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।

8. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 दिनांक--03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) का नई अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत स्थायी सेवानिवृति लेखा संख्या–(PRAN No.) निश्चित रूप से सृजित कर लिया जाय।

9. नव पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

10. भविष्य में किसी प्रकार के त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तद्नुसार विभाग द्वारा संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा।

17/4/26

(रणजीत कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था07/01–06/2025(पार्ट)- 1976 /यो0वि0,पटना,दिनांक 17 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0), विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/4/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था07/01–06/2025(पार्ट) - 1976 /यो0वि0,पटना,दिनांक 17 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/सभी संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/4/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:– यो0स्था07/01–06/2025(पार्ट) - 1976 /यो0वि0,पटना,दिनांक 17 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि:– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/अधीक्षक/राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–07 को भेजने हेतु प्रेषित।

17/4/26

सरकार के अपर सचिव